कार्यालय- झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा

समग्र शिक्षा

जिला-कोडरमा

विज्ञापन संख्या: 339 /15.03.2023

आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अनुरूप उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अन्तर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों (Schools of Excellence) एवं प्रखण्ड स्तरीय आर्दश विद्यालयों जिन्हें राज्य सरकार की महत्त्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत गुणवत्त शिक्षा के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है में अल्पकालीन संविदा आधारित रनातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं:—

विषयवार एवं कोटिवार शिक्षकों की रिक्त पदों का विवरणी निम्नवत् है:-

				PG	Т						TGT				
SI.No			Cate	gory wis	e vacancy						Category wise vac		e vacanc	acancy	
	Subject	Total No. of vacant posts	UR	BC / BC-II	MBC / BC-I	ST	sc	SI.	Subject	No. of vacant posts	UR	BC/ BC-II	MBC / BC-I	ST	
1	Hindi	5	3	0	1	0	1	1	Hindi	3	2	0	1	0	0
2	English	4	2	0	1	0	1	2	English	4	2	0	1	0	1
3	Sanskrit	4	2	0	1	0	1	3	Urdu	2	1	0	1 -	0	0
4	History	3	2	0	1	0	0	4	Mathematics / Physics	10	5	1	1	1	2
5	Geography	3	2	0	1	0	0	5	Biology / Chemistry	6	3	1	1	0	1
6	Economics	2	1	0	1	0	0.	6	Geography	2	1	0	1	0	0
7	Mathematics	5	3	0	1	0	1	7	History / Civics	8	4	1	1	1	1
8	Physics	6	3	1	1	0	1	8	Sanskrit	11	6	1	1	1	. 2
9	Biology	6	3	1	1	0	1	9	Economics	4	2	0	1 .	0	1
10	Chemistry	5	3	0	1	0	1	10	Physical Education	3	2	0	1	0	0
11	Physical Education	1	1	0	0	0	0	11	Home Science	1	,1	0	0	0	0
12	Commerce	3	2	0	1	0	0	12	Music	1	1	0	0	0	0
	V - 1	-	•	-	-	•		13	Bangla	1	1	0	0	0	0
(1 5		-		-	-		-	14	Khortha	1	1	0	0	0	0
	Total	47	27	2	11	0	7		Total	57	32	4	10	3	8


नोट:— दिव्यांगों का 4% एवं महिलाओं का 5% क्षैतिज आरक्षण उपर्युक्त रिक्ति में सम्मिलित है। आरक्षण रोस्टर अनुसार कोडरमा जिला में दिव्यांग कोटि में 0(शून्य) रिक्ति है। चयन हेतु विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न

संबंधित विद्यालयों में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन निम्न अंकित शर्तों / अहर्ता के अधीन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. अहर्ता :-

i- स्नातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षकों हेतु —

—राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है में न्यूनत्तम 50 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनत्तम 45 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।



- साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।
 (चयन हेतु निर्धारित शैक्षणिक अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विमाग की अधिसूचना संख्या 2425 दिनांक 04.09.2012 एवं यथा संशोधित नियमावली अधिसूचना संख्या 935 दिनांक 06.04.2022 के अनुरूप होगी)—Annrxure A & A1
- ii- स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक हेतु -
 - राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था
 से संबंधित विषय जिसमें चयन होना है (सभी तीनो वर्षों में पढ़ाई की गयी हो) में न्यूनत्तम
 45 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातक डिग्री। परन्तु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के
 अभ्यर्थियों हेतु न्यूनत्तम 40 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातक डिग्री।

— साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

द्वारा B.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।

- शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम 45 प्रतिशत् अंको के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनत्तम 40 प्रतिशत् अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। साथ ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से B.P.Ed. अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा B.P.Ed. के समकक्ष घोषित डिग्री।

(चयन हेतु निर्धारित अहर्ता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अधिसूचना संख्या 434 दिनांक 01.03.2016 एवं यथा संशोधित नियमावली अधिसूचना संख्या 355 दिनांक 22.02.2022 के अनुरूप होगी)—Annrxure B & B1

2. उम्र :-

- न्यूनतम एवं अधिकत्तम आयु सीमा क्रमशः 21 और 55 वर्ष होगी।
- उम्र का आकलन 31.12.2022 के आधार पर किया जाएगा।

3. आरक्षण :-

- चयन में झारखण्ड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा।
- आरिक्षत पदों पर झारखण्ड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखण्ड सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा मान्य होगा।


संविदा आधारित शिक्षक की मासिक परिलब्धि :-

 संविदा आधारित शिक्षकों को मासिक आधार पर समेकित भुगतान निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :-

क्र.सं.	शिक्षक की कोटि	नियत मानदेय प्रति माह
1	रनातकोत्तर प्रशिक्षित (PGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 27,500/-
2	स्नातक प्रशिक्षित (TGT) शिक्षक (सभी विषय)	रूपये 26,250/-

5. संविदा आधारित शिक्षकों के निर्धारित कर्त्तव्य एवं दायित्व संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे :—

- i- नियमित कक्षा का संचालन / बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जांच।
- ii- निरीक्षण कार्य / मूल्यांकन कार्य।



- विद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम/सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की तैयारी एवं संचालन में छात्रों iii-एवं सह-कर्मियों की सहायता करना।
- प्राचार्य द्वारा सौंपे गए सभी कार्य। iv-
- 6. चयन की प्रक्रिया :-

उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के आधार पर चयन समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों के अनुरूप मेधा सूची के अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु समिति का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। चयन की प्रक्रिया बिना कारण बताये चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थिगित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

7. चंयन हेतुं निर्धारित शर्तें — संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15.03.2022 के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के


अधीन कार्य करेंगे :-

- यह चयन जिले के उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरूद्ध आवश्यकता i-आधारित रिक्ति के आलोंक में की जा रही है। अतः शैक्षणिक सत्र समाप्ति या संबंधित विद्यालय में नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी पहले हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी।
- शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात् चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर ii-चयनित एवं कार्य कर रहे शिक्षक के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी।
- संविदा के आंधार पर कार्यरत शिक्षकों को नियमित चयन एवं संविदा विस्तार का कोई iii-दावा / अधिकार नहीं होगा और न ही वे सरकारी शिक्षक संवर्ग का हिस्सा होंगे। इस संबंध में अंतिम रूप से चयनोपरात अभ्यर्थी को शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
- ऐसे शिक्षक विद्यालय के प्राचार्य के अधीन एवं उनके द्वारा निर्धारित शर्त एवं बंधेज iv-(संविदा के समय निर्धारित) के अनुरूप कार्य करेंगे।
- संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी v-एकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। यह एकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच निर्धारित शर्तों के अनुरूप किया जाएगा।

चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष एकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अल्पकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षक के कार्यकलाप का मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोषप्रंद पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखण्डित मानी जाएगी। तदोनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापनं निकाल कर विहित प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति का होगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया :--

- योग्य अभ्यर्थियों द्वारा विहित प्रपत्र (आवेदन का प्रारूप परिशिष्ट 'ख' के रूप में संलग्न) में i-आवेदन ''जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, कोडरमा, समहरणालय भवन, दूसरी तल्ला, कोडरमा'' के कार्यालय में आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा दिनांक 15.04.2023 के अपराहन 05:00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे। साधारण डाक से भेजे गए एवं हाथों-हाथ आवेदन तथा निर्धारित समय सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- चयन हेत् विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के अधिकारिक वेबसाईट ii-(Koderma.nic.in) पर देखा जा सकता है।



- गां- चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, कोडरमा कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त अंकित अधिकारिक वेबसाईट पर देखी जा सकती है। अभ्यर्थी का दायित्व होगा कि वे नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करें।
- 9. चयन परीक्षा हेतु शुल्क 100/— रू. होगी परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यह 50/— रू. निर्धारित की जाती है। आवेदन शुल्क Crossed Demand Draft /Bankers Cheque जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह—जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा, कोडरमा के पदनाम से Payable at DEO-Cum-DPO, SSA, Koderma (जिला का नाम) स्वीकार किए जायेंगे।
- 10. पात्रता :— चयन परीक्षा में बैठने की अनुमित पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना यह प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन सिमित द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जाँच करायी जाएगी। निर्धारित जाँच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में मरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अविध अन्तर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा। चयन सिमित द्वारा परीक्षा, साक्षत्कार एवं व्यावहारिक कक्षा अवलोकन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में समय—समय पर सूचना Koderma.nic.in पर देखा जा सकता है

30 13 123

जिला शिक्षा पदाधिकारी—सह— जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा, कोडरमा उपायुक्त—सह—अध्यक्ष, जिला चयन समिति (शिक्षा) जिला – कोडरमा



परिशिष्ट- 'ख'

Office of the District Education Officer



District :

Application Form for Appointment of Teachers on Contract Basis in 80 School of Excellence and 325 Block
Level Adarsh Vidyalaya for Session 2022-23/2023-24.

Important notes: 1. All entries should be made in capital letters 2. One form should be used for one post. 3. Enclose attested copies of testimonials with each form. (If applied for more than one post) Post Applied for Subject Applied for (Please indicate whether PGT/TGT) (In case of PGT/TGT) Candidate's Name (in capital letters) (Please keep one box blank between First name, Middle name & 1. Last name) 2. Father's /Husband's Name (in capital letters) Father Husband (Please keep one box blank between First name, middle name & Last name) 3. Date of Birth: 4. Gender: M Month Year Day 6. Age as on 31.12.2022 Month Day 7. Candidate Address (in capitals letters) Please affix one recent colour Name : photograph Father's/Husband Name:....

Mobile No. 2 :

E-mail Id. :

Signature of Candidate

7. Academic Qualification (Starting from High School level)
(Please give information as applicable. (Attach attested copies of Mark sheets and Ce

Name of Examination (with	Write name of	Year of passing	Ag	gregate Ma	rks	Mark sheets and Subjects / Specialization	Duration	uration Doord/	
complete name of course passed)	Examinatio npassed		Max. Marks	Marks obtained	%age of marks	Specialization	of course (in months)	University	
High School (Class X)	A -1- XX								
Intermediate (Class XII)									
Graduation (Name of Course)				= -					
Post Graduation (Name of Course)	2								
Others if any (Specify)	- 0.04								

8. Professional Qualification (Attach attested copies of mark sheets & certificates)

Name of Examination	Write	Year of passing	A	ggregate Ma	rks	Subjects / Specialization	Duration of course	Board/	
(with complete name of course passed)	of Examinatio npassed	Examinatio		Max. Marks	Marks obtained	%age of marks	Specialization	(in months)	University
	Theory	E* -	100						
B.ED	Practical								
Any Other (Computer Proficiency)									

9. Experience (Attach separate sheet, if columns are insufficient)

Post held		Period of service		No. of	T		
	Name of Institution	From	То	completed years & months	Classtaught	Subjects taught	Scale of pay and salary permonth
						- V	-
							300000000000000000000000000000000000000

10.	Are you able to teach through English and Hindi, both?
	(Please mark ($$) tick in the appropriate box) For teaching posts

Yes	No	

11.	Do you have knowledge of computer application (Please mark (√) tick in the appropriate box) For Social Category (SC/ST/BC/MBC/UR)	ies NO
	UNDER	TAKING
that m	ledge. I have attached attested copies of my testin	n given above are true and correct to the best of my nonials in support of the entries made above. I also agree for interview/selection. My candidature may be cancelled fication.
	i	Signature
	e: act No.:	
	ication Number (Post wise)	
Partic	cular Checked and Candidate is eligible for said po	st as per KVS Norms
	. Name	Signature

8 D = 5

झारखण्ड सरकार मानव संसाघन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

अध्याय - 1

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - (1) यह नियमावली झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2012 कहलायेगी।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (3) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय - 2

- 2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :-
 - (i) "+2 विद्यालय" से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य अन्तर्गत वर्ग 12 तक के ऐसे विद्यालय, जिनका संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
 - (ii) "निदेशक" से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।
 - (iii) "क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक" से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।
- (iv) "जिला शिक्षा पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।
 - (v) "प्राचार्य" से अभिप्रेत हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा +2 विद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त शिक्षक, वाहे उसका पदनाम जो भी हो।
 - (vi) "रनातकोत्तर शिक्षक" से अभिप्रेत हैं, +2 विद्यालयों के लिये नियुक्त विभिन्न विषयों के शिक्षक।
 - (vii) "प्रयोगशाला सहायक" से अभिप्रेत है, +2 विद्यालेयों में स्थापित किये गये प्रयोगशाला में सहायक के रूप में कार्य करने वाला प्रभारी।
 - (viii) "शिक्षकेत्तर कर्मचारी" से अभिप्रेत हैं, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर +2 विद्यालयों के लिये नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।
- (ix) "झारखण्ड अधिविद्य परिषद्" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।
 - (x) "सरकार" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।
- (xi) "सरकार के सचिव" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव/प्रधान सचिव।
 - (xii) "राज्य" से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य।

- (xiii) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत हैं, प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पर्दो पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे।
- (xiv) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री।
- (xv) "मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान" से अभिप्रेत हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय - ३

- 3. +2 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की अद्योलिखित श्रेणियाँ होंगी :-
- (क) प्राचार्य (i) प्राचार्य, मूल कोटि। वेतनमान रू० 15600-39100, ग्रेड पें0 - रू० 7600/-
- (ख) उप प्राचार्य (i) उप प्राचार्य, मूल कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ५४००/-

(ii) उप प्राचार्य, वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० 15600-39100, ग्रेड पे० - रू० 6600/-

(ख) स्नातकोत्तर - (i) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित मूल कोटि। प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४८००/-(ii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि।

ii) स्नातकत्त्तर प्रशिक्षत वराय वतनमान काटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ५४००/-

(iii) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रूठ १,५६००-३९१००, ग्रेड पेठ - रूठ 660०/-

- 4. +2 विद्यालय में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी :-
- (क) प्रयोगशाला (i) मूल कोटि। सहायक वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४२००/-

(ii) वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेंड पे0 - रू० 4600/-

(iii) प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४८००/-

- (ख) लिपिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरुपित प्रावधानों के अन्तर्गत एवं सरकारी उच्च विद्यालय में कार्यरत 'लिपिक सम्वर्ग के अनुरूप श्रेणियाँ होंगी तथा सरकारी उच्च विद्यालयों में अथवा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा लागू लिपिक पद पर नियुक्ति का प्रावधान लागू होगा।
 - (ग) आदेशपाल- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 164 दिनांक 03.12.1980 एवं संकप्ल संख्या 3577 दिनांक 25.04.97 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।
 - 5. नियम ३ एवं ४(क) में शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सीधी नियुवित की जायेगी। वरीय वेतनमान् कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान् कोटि के पद प्रोन्नित द्वारा उस श्रेणी के मूल कोटि के नियुक्त प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा।

2425

परन्तु यह कि +2 विद्यालयों में इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्त अप्रशिक्षित व्याख्याता, जिन्होंने नियमावली प्रवृत्त होने की तिथि तक 15 वर्षों की सेवा अप्रशिक्षित व्याख्याता के रूप में पूरा कर लिया है, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् (CBSE) उप विधियों के मानदण्ड के अनुसार उनके लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल किया जाता है तथा वें नियमावली में निर्धारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रक्रिया के तहत् प्रोन्नित के हकदार होंगे तथा नियम-3 में उल्लेखित प्राचार्य/उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकते हैं, वशर्त्त कि वे अन्य अहर्ताएँ पूरा करते हों।

> केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के दिशा निर्देशों के अनुरूप नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी श्रेणियों के मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदो के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम् 12 वर्षों की सेवा करने वाले शिक्षकों/प्रयोशाला सहायकों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान् में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुशरण किया जायेगा। उक्त प्रोन्नित इस नियमावली के अध्याय-10 में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर तथा जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा जिला स्तरीय सम्वर्ग के पदों पर दी जायेगी।

अध्याय - 4

- सम्वर्ग :--7.
 - +2 विद्यालय में प्राचार्य/उप प्राचार्य/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक/प्रयोगशाला सहायक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।
- (ख) +2 विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का सम्वर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। र्मार्थित पर्याचनी सीवन्त्रीय प्रदेश है।

अध्याय - 5

 वेतनमान :- इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्र कर्मनाजियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार द्वारा लागू शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान् राज्य सरकार द्वारा लागू वेतनमान् होगा।

अध्याय - 6

- 9. रनातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की अहर्त्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-
- (1) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ग्रा)(i) में उल्लेखित रिक्त पर्दों की आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा। इस प्रकार चिन्हित रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद पर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अहत्ती प्राप्त तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार झास्खण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सहन प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा होगी। जाँच परीक्षा में सिमिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-
 - राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वार मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ रनातकोत्तर डिग्री होंगी। परन्तु अनुसूचित नाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45% अंकों के सन्व स्नाठकोत्तर डिबी होगी।

- (ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2(xiv) एवं 2(xv) के अनुरुप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सिम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमित दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विशक्षक नियुक्ति की प्रशिक्षण परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (iii) जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम् 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :-

				Iddacing C.A
	1.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
-	2.	महिला (अनारिक्षत/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
	3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	, 42 वर्ष	47 वर्ष
	4.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
	5.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष


- (iv) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-
 - (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य झान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा- 100 अंक
 - (ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है। 300 अंक उस विषय की परीक्षा
 - (v) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अहर्क (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुरितकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
 - (vi) प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होमा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक ्लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधारे होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।
 - (vii) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।
 - (viii) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्णत कर सकेंगे।

2425

The party of the state of the s


10. उप प्राचार्य की अहत्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :--

- (1) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ग)(i) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पर्दों का 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्त्ता वाले +2 विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों से कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिका सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों मे निहित प्रावधानों के तहत् किया जायेगा।
- (11) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ख)(i) में उल्लेखित उप प्राचार्य के रिक्त पर्दों का शेष 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सिम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :--
 - (i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।
 - (ii) इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम (xiv) एवं (xv) के अनुरूप शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।
- (iii) केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम पाँच वर्षो का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव।
 - (iv) उप प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्षों की होगी। परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
- (III) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-
- (i) (क) प्रश्न पत्र (1) सामान्य ज्ञान की परीक्षा 100 अंक
 - (ख) प्रश्न पत्र (2) जिस विषय में स्नातकौत्तर प्रशिक्षित 100 अंक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है, उस विषय की परीक्षा
 - (ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
 - (iii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेघा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।



- (iv) प्राप्त मेघा सूची के आघार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/शैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में उप प्राचार्य के रिक्त पदो के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।
- राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक (v) राज्य स्तराय स्थापना जानाः शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

- प्राचार्य की अहर्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-
- 11. (I) +2 विद्यालयों में इस नियमावाली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों का एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहत्ती वाले +2 विद्यालयों में कार्यरत स्नातकोत्तर शिक्षक से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नित द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय समिति के विचार एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर भरा जायेगा। वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।
- (II) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्राचार्य के रिक्त पदों को दो तिहाई अर्थात् ६७ प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जायेगा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा झारखण्ड सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सिमलत होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे :-
 - राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री होगी।
 - इस नियमवाली के अध्याय-2 के नियम 2(xiv) एवं 2(xv) के अनुरूप शिक्षक (ii) प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।
 - केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालयों में (iii) नियुक्ति वाले विषय में न्यूनतम आठ वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव।
 - प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम् आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम (iv) आयु सीमा ५० वर्षो की होगी। परन्तु यह कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके परिपत्रों के आलोक में आरक्षित ब्रग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग/विकलांग को तद्नुरूप आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
 - Computer Application की जानकारी।
- (III) जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :-
 - प्रश्न पत्र (1) सामान्य ज्ञान की परीक्षा (ab)
 - (ख) प्रश्न पत्र (२) जिस विषय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित १०० अंक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा
 - उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, (ii) अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।



(7)

- (ii) प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेघा सूची तैयार की जायेमी, परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लागा अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लागा अनिवार्य होगा। यह मेघा सूची उप प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।
- (iv) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।
- (v) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय - 9

- 12. प्रयोगशाला सहायक की अहर्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-
 - (1) +2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 4(क)(i) में उल्लेखित सभी रिक्त पर्दों की आरक्षण प्रावधान के अनुरुप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजा जाएगा। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा में सिम्मिलित होने हेतु निम्न अहर्त्ताधारी से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जार्येगे :-
 - (i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ रनातक डिग्री होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक होगा।
 - (ii) जिस पंचाग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार आयु वही होगी, जो कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या 2096 दिनांक 25.04.2011 द्वारा निर्धारित किया गया है।
- (iii) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-
 - (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा की परीक्षा- 100 अंक
 - (ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है 300 अंक उस विषय की परीक्षा
 - (iv) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) अहर्क (Qualifying) प्रश्न पत्र होगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (v) प्रश्न पत्र (2) का स्तर भी स्नातक स्तरीय होगा तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा।

2425

THE RELL OF THE LOSS.

- 8
- (vi) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए +2 विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति होगी।
 - (vii) राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत कर सकेंगे।

अध्याय - 10

- 13. स्थापना समिति :- नियमावली के नियम 3 एवं 4 में दर्शायी गयी शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के श्रेणियों में नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नित एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थापना सिमिति गठित की जाती हैं :-
- (1) राज्य स्तरीय स्थापना समिति :-
 - (i) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा पदेन अध्यक्ष
 - (ii) उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी) पदेन सदस्य
 - (iii) वरीयतम क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक पदेन सदस्य
 - (iv) विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचित सदस्य जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी
- (II) जिला स्तरीय स्थापना समिति :-
 - (i) जिला शिक्षा पदाधिकारी अध्यक्ष
- (ii) जिला के वरीयतम अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी सदस्य
- (iii) उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित सदस्य जनजाति के राजपत्रित पदाधिकारी

अध्याय - 11

अन्यान्य

- 14. इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नित (सभी श्रेणियों के वरीय वेतनमान में प्रोन्नित को छोड़कर) में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय सम्वर्ग में राज्य स्तरीय आरक्षण नियमों एवं जिला स्तरीय सम्वर्ग में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा।
- 15. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में इस नियमावली के तहत् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों 'की सेवा झारखण्ड सरकार वित्त विभाग संकल्प संख्या 518 वि दिनांक 09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित "झारखण्ड सरकार सरकार कर्मचारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी।"
 - 16. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवार्ये (अनुशासन एवं अपील नियमावली-1935) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागके सुसंगत प्रावधानों के तहत किया जा सकेगा।
 - 17. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के आकरिमक अवकाश, मातृत्व अवकाश, कॉरनवाईन लीम, उपार्जित अवकाश, रूपांतरित अवकाश, अर्द्ध वैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश, झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा निर्गत सुसंमत



परिपत्रों के तहत देय होगा। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेत अवकाश स्वीकृति हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार ही इस नियमावली के तहत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे।

- इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न 18. होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।
- अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।
- इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के तहत उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर 20. कर्मचारियों की श्रेणियों का स्थानान्तरण सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु निर्धारित नीति के तहत इस नियमावली के अधीन गठित किये गये राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा राज्य स्तरीय सम्वर्ग का तथा जिला स्तरीय सम्वर्ग का जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा किया जा सिकेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से (बीठ केठ त्रिपाठी)

सरकार के प्रधान संचिव

राँची, दिनांक ... 0% स्मिनिस् ज्ञापांक : 6/व.1-97/2004 प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना 🔭 600 प्रतियाँ अविलम्ब मानव संसाधन विकास विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) झ्यूरखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव ब्रापांक : 6/व.1-97/2004 2425 प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी ज़िला शिक्षा अधीक्षक्/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी० के० त्रिपार्व) ही ए सरकार के प्रधान संचिव : 6/व.1-97/2004 2425 राँची, दिनांक ी प्राप्ति, 2012 प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा

ज्ञापांक : 6/व.1-97/2004 2425 सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बी० के० त्रिपाठी) सरकार के प्रधान सचिव

अधिसूचना

संख्या 11/नि.4-02/2022/ भारत के संविधान के अनुव्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, सभी कोटि के सरकारी +2 विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु प्रवृत्त "झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012" में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंग :-

(i) यह नियमावली "झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" कहलायेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

- 2. नियम—3(ख), नियम—3(ग)(ii), नियम— 5 परन्तुक, नियम— 7(क) में निम्न नियम/अंश, क्रमशः विलोपित/संशोधित किया जाता है —
 - (i) झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 के नियम— 3(ख) में +2 सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की श्रेणियों में अंकित ''उप—प्राचार्य के पद एवं वेतनमान्'', नियम— 5 परन्तुक में अंकित "उप—प्राचार्य" के पद एवं नियम— 7(क) में अंकित ''उप—प्राचार्य'' के संवर्ग को विलोपित किया जाता है तथा
 - (ii) नियम—3(ख) के उपरांत पुनः "(ख) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक" के स्थान पर "(ग) स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक" एवं तद्नुसार नियम—3(ग)(ii), स्नातकोत्तर प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि, "वेतनमान रु. 9300—34800, ग्रेड पे. रु. 5400" में वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक 660 / वि. दिनांक 28.02.2009 के पृष्ट संख्या—93, क्रम संख्या—309 द्वारा अनुमोदित संगत "वेतनमान रु. 15600—39100, ग्रेड पे. रु. 5400" संशोधित किया जाता है।

नियम–9 (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है –

"+2 विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ग)(i) में उल्लेखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जायेगी। इस प्रकार चिह्नित रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हत्ता प्राप्त तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाये जाते है, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर भी उसी विज्ञापन एवं संव्यवहार से सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी। उक्त सभी नियुक्तियों का आधार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित एक जांच परीक्षा होगी। जाँच परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे"

4. नियम-9 ()(i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है -

"(i)(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का

9.

निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :--

> किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ायें जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (वी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सिहत स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सिहत स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड. / बी.एससी.एड. ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.—एम.एड.।

- (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।
- (ग) "उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

5. नियम-9 (i)(ii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है -

"इस नियमावली के नियम 9(1)(i)(क) में अंकित शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमित दी जाएगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति की परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के

पूर्व झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध करायी जा सकेगी।"

6. नियम-9 (ı)(vi) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है -

"प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है. तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।"

- 7. नियम-9 (i)(iii)(1) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली,
 2012 के नियम- 9 (i) (iii) (1) में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की
 अधिकतम् कोटिवार आयु के प्रावधान में "सामान्य कोटि" को संशोधित कर "सामान्य
 कोटि/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)" किया जाता है।
- 8. नियम-10 (अध्याय-7) में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है -झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2012 के अध्याय-7, नियम-10 में अंकित प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
- 9. नियम—11(II)(i), (ii) एवं (iv) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है
 - "(i) (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथिमक, उच्च प्राथिमक, माध्यिमक, उच्च माध्यिमक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :-

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में

5 34 2022

स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर
पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में कम से कम 50 प्रतिशत
अंकों सहित रनातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त
संस्थान से बी.ए.एड. / बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर
पर पढ़ायें जाने वाले विषयों में से नियुक्त विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों
अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ रनातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत
बी.एड.-एम.एड.।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

(ii) —विलोपित—

(iv) जिस पंचांग वर्ष में प्राचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की 1ली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम् आयु 35 वर्ष तथा अधिकतम् आयु 50 वर्षो की होगी, परन्तु यह कि आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/महिला वर्ग /विकलांग को अधिकतम् आयु सीमा में छूट उपलब्ध होगी, जो निम्नांकित होगी :-

क्र.	कोटि	अधिकतम आयु सीमा	विकलांगों के लिए
1.	अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	50 वर्ष	55 वर्ष
2.	पिछड़ा / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	52 वर्ष	55 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित / पिछड़ा / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	53 वर्ष	55 वर्ष
4	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	55 वर्ष	55 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)(महिला)	53 वर्ष	55 वर्ष

10. <u>नियम—11(III) (i), (ii) एवं (iii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता</u> है —

(III) प्राप्त आवेदन पत्र में से अहर्त्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जांच परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो निम्नवत् होगी :--

(i) (क) प्रश्न पत्र (1)— सामान्य ज्ञान की परीक्षा —200 अंक (ख) प्रश्न पत्र (2)— विषय, जिसमें स्नातकोत्तर प्रशिक्षित —300 अंक शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है।

(ii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन—तीन घंटे की होगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। प्रश्न पत्र (1) स्नातक स्तरीय तथा प्रश्न पत्र (2) स्नातकोत्तर स्तर का होगा।

(iii) प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। परन्तु यह कि प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) में योग के रूप में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हेतु. 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह सूची प्राचार्य पद पर नियुक्ति का आधार होगा। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

11. नियम-12(I)(i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है -

- (i) (क) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं दो विषयों में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षित अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य होगी।
 - (ख) अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने की तिथि/अंतिम तिथि तक उन्हें उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
 - (ग) "उक्त अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से भैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

12. नियम-12(1)(v) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है -

(v) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न भी स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु यह कि न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रयोगशाला सहायक पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी रिथिति में उनके स्नातक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा. अर्थात् स्नातक योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

91

935

- 13. "झारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 14. विभागीय संलेख ज्ञापांक—11 / नि.4—02 / 2022 / 384 दिनांक 23.02.2022 के द्वारा "ज्ञारखण्ड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 30.03.2022 को संपन्न बैठक में मद संख्या —08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपूत्र के आदेश से (राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 11/नि.4-02/2022.935/ राँची, दिनांक ०.६/०.५/2022 प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गर्जेंट के आगामी असाधारण मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 11/नि.4-02/2022. 9.3.5 राँची, दिनांक १.६/०.५/2022 प्रतिलिपि:— झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 11/नि.4-02/2022 935 राँची, दिनांक 0.6/०५/2022 प्रतिलिपिः- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव



झारखण्ड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय) ५७४

अधिसूचना

01-03-2016.

अध्याय - १

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - (I) यह नियमावली '**झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक** एवं **शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015**' कहलायेगी।
 - (II) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (III) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी। **परन्तु यह कि** -
 - (i) राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों/जिला स्कूलों में अवर शिक्षा सेवा { शिक्षण शाखा (पुरुष एवं महिला शाखा संवर्ग)} में नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्त्ते (प्राचार्य के पद पर प्रोन्नित सहित) पूर्ववत् रहेंगी एवं वैरो शिक्षकों पर यह नियमावली प्रभावी नहीं होगी।
 - (ii) वर्ष 1981-82 एवं 1984-85 चरण के परियोजना माध्यमिक विद्यालयों में पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षेकेत्तर कर्मचारियों के संदर्भ में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर ही नियमावली के प्रावधान लागू होंगे। अन्य स्थितियों में इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।
 - (iii) परन्तु उक्त नियम —III के उप नियम (i) में उल्लिखित पूर्व से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पर्दो पर नियुक्ति की कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के तहत् की जायेगी तथा ऐसे कर्मियों की सेवा शर्त्त इस नियमावली से ही आच्छादित होगी।

अध्याय - 2

2. परिभाषाएँ :- जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :-

(i) "सरकारी माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय, राज्य सरकार द्वारा अथवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत्



- मध्य विद्यालय से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, वर्ष 1981-82 _{घरण} के राज्य सरकार द्वारा चयनित एवं संचालित परियोजना माध्यमिक विद्यालय एवं वर्ष 1984-85 चरण के राज्य सरकार द्वारा चयनित एवं संचालित परियोजना बालिका विद्यालय।
- (ii) "राजकीय माध्यमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय एवं जिला स्कूल।
- (iii) 'राजकीयकृत उच्च विद्यालय' से अभिप्रेत हैं, बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम-1981 के तहत् राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित विद्यालय, जो राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के नाम से वर्त्तमान में झारखण्ड राज्य के क्षेत्राधीन संचालित है।
- (iv) <u>उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयं</u> से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ग-9 एवं वर्ग-10 के पटन-पाटन हेतु राज्य सरकार के स्तर से अथवा झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर प्रारम्भिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किये गये विद्यालय।
- (v) "परियोजना माध्यमिक विद्यालय" से तात्पर्य है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 एवं 1984-85 चरण के चयनित एवं राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन संचालित सह शिक्षा अथवा बालिका शिक्षा हेतु परियोजना माध्यमिक विद्यालय।
- (vi) "माध्यमिक विद्यालय" से तात्पर्य है, वर्ग-9 एवं वर्ग-10 की संचालित कक्षायें, भले ही ऐसे विद्यालय वर्ग-6 से वर्ग-12 तक की कक्षायें भी संचालित करते हों। वर्ग-6 से वर्ग-8 तक की कक्षायें प्रारम्भिक शिक्षा तथा वर्ग-11 से वर्ग-12 तक की कक्षायें +2 शिक्षा (इंटरमीडिएट शिक्षा) के नियंत्रणाधीन होगी।
- (vii) **"उच्च विद्यालय"** से तात्पर्य है, माध्यमिक विद्यालय।
- (viii) '**निदेशक'** से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक।
- (ix) '<u>क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक</u>' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में प्रमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।
- (x) 'जिला शिक्षा पदाधिकारी' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी।
- (xi) 'प्रधानाध्यापक' से अभिप्रेत हैं, सक्षम प्राधिकार द्वारा उच्च विद्यालयों के प्रधान के रूप में नियुक्त/प्रोन्नत शिक्षक, चाहे उसका पदनाम जो भी हो।
- (xii) **'शिक्षक'** से अभिप्रेत हैं, उच्च विद्यालयों के लिये नियुक्त होकर कार्यरत विभिन्न विषयों के शिक्षक।
- (xiii) 'शिक्षकेतर कर्मचारी' से अभिप्रेत है, वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर उच्च विद्यालयों के लिये नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी।



- (xiv) '**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्**' से अभिप्रेत हैं, झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।
- (xv) '<u>सरकार</u>' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य सरकार।
- (xvi) '**सरकार के सचिव**' से अभिप्रेत हैं, मानव संसाधन विकास विभाग के सचिव/प्रधान सचिव।
- (xvii) '<u>राज्य</u>' से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य।
- (xviii) 'सक्षम प्राधिकार' से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा के साथ मेधा सूची उपलब्ध कराने हेतु प्राधिकृत किया जाय।
- (xix) 'प्रशिक्षण' से अभिप्रेत हैं, मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा बी०एड० के समकक्ष घोषित डिग्री। परन्तु शारीरिक शिक्षा शिक्षक के मामले में प्रशिक्षण से अभिप्रेत होगा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा में डिग्री।
- (xx) 'मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान' से अभिप्रेत है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

अध्याय - ३

- सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुरुप शिक्षकों की अधोलिखित श्रेणियाँ होंगी :-
- (क) प्रधानाध्यापक -(i) प्रधानाध्यापक, मूल कोटि। वेतनमान रु० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रु० ५४००/-
 - (ii) प्रधानाध्यापक वरीय वेतनमान रू० 15600-39100, ग्रेड पे० - रू० 5400/-
- (ख) स्नातक (i) स्नातक प्रशिक्षित मूल कोटि। प्रशिक्षित शिक्षक वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४६००/-

(ii) स्नातक प्रशिक्षित वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४८००/-

- (iii) स्नातक प्रशिक्षित प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ५४००/-
- (ग) शारीरिक शिक्षा(i) शारीरिक शिक्षा शिक्षक मूल कोटि। शिक्षक वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेड पे० - रू० 4600/-(ii) शारीरिक शिक्षा शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि।

वेतनमान रु० 9300-34800, ग्रेड पे० - रु० 4800/-शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि।

(iii) शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रवरण वतनमान काटा वेतनमान रू० 9300-34800, ग्रेड पे० - रू० 5400/-

प्राच्य भाषा (i) (**E**) शिक्षक

प्राच्य भाषा शिक्षक मूल कोटि। ग्रेड पे०- रु० ४६००/-वेतनमान रु० ९३००-३४८००, प्राच्य भाषा शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि।

वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४८००/-(ii)

प्राच्य भाषा शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ५४००/-(iii)

वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे०- रू० ४२००/-संगीत शिक्षक(i) (3.)

संगीत शिक्षक वरीय वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४६००/-(ii)

संगीत शिक्षक प्रवरण वेतनमान कोटि। वेतनमान रू० ९३००-३४८००, ग्रेड पे० - रू० ४८००/-(iii)

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियाँ होंगी:-

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 11243 दिनांक 06.12.1995 के द्वारा निरूपित लिपिक-(i) प्रावधानों के अन्तर्गत लिपिक सम्वर्ग के अनुरूप होंगी एवं इसके अनुरूप तथा इस संबंध में जारी दिशानिदेशों के अधीन ही लिपिक की नियुक्ति की जायेगी।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 164 दिनांक 03.12.1980 एवं संकल्प संख्या 3577 आदेशपाल-(ii) दिनांक 25.04.97 में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अधीन आदेशपाल की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

नियम-3 में शिक्षकों की दर्शायी गयी श्रेणियों में से मात्र मूल कोटि की श्रेणियों में ही इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के तहत् सीधी नियुक्ति की 5. जायेगी। वरीय वेतनमान कोटि अथवा प्रवरण वेतनमान कोटि के पद प्रोन्नति द्वारा उस श्रेणी की मूल कोटि के नियुक्त प्रधानाध्यापक/स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप भरा जायेगा।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन नियमावली एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के (i) 6. दिशा- -निदेशों के अनुरूप नियम 3 में दर्शायी गयी श्रेणियों की मूल कोटि के वेतनमान् में 12 वर्षों की संतोषप्रद सेवा के बाद उस श्रेणी का वरीय वेतनमान देय होगा। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की श्रेणी में प्रवरण वेतनमान का लाभ मूल कोटि में स्वीकृत पदों के 20% अनुमान्य पद के विरुद्ध वरीय वेतनमान में न्यूनतम् 12 वर्षो की सेवा करने वाले शिक्षकों को वरीयता क्रम में देय होगा। प्रवरण वेतनमान् में राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति का अनुसरण किया जायेगा। उक्त प्रोन्नति इस नियमावली के अध्याय-८ में उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति द्वारा की जायेगी।

शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को प्रोन्नति का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार (ii) एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये इस संदर्भ में सुसंगत प्रावधानों के आलोक में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति के विचारोपरान्त दिया जायेगा।

(iii) इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ए०सी०पी०/ एम०ए०सी०पी० का लाभ देय नहीं होगा।

अध्याय - 4

7. सम्वर्ग :-

- (i) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का सम्वर्ग राज्य स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा होंगे।
- (ii) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला स्थापना समिति के सदस्य सचिव/जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।
- (iii) सरकारी माध्यमिक विद्यालय में लिपिक एवं आदेशपाल का सम्वर्ग जिला स्तरीय होगा तथा इनके नियुक्ति प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे।

अध्याय - 5

८. वेतनमान :-

इस नियमावली में उल्लेखित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का वेतनमान राज्य सरकार (वित्त विभाग) द्वारा लागू वेतनमान होगा।

अध्याय - 6

- 9. स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की अर्हताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-
- (1) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(ख)(i), 3(ग)(i), 3(घ) (i) एवं 3(ङ)(i) में उल्लेखित रिक्त पदों के आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिलावार जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त करते हुए कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार को भेजी जायेगी। चिह्नित रिक्तियों में से 25 प्रतिशत पद सरकारी प्रारम्भिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त पाँच वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु यह कि प्रारम्भिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षकों हेतु आरिक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं पाये जाते हैं, तो वैसी स्थित में इन आरिक्षत पदों पर भी सीधी नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायेगी। उक्त सभी नियुक्तियाँ कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित एक जाँच परीक्षा के माध्यम से होगी। जाँच परीक्षा में सिम्मिलित होने हेतु निम्न अर्हताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे
 - (i) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय, जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 4.5 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु



अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

परन्तु यह कि प्राच्य भाषा के शिक्षक हेतु राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/समिति द्वारा प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण) फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अथवा संस्कृत, फारसी, उर्दू एवं अरबी भाषा में स्नातकोत्तर की डिग्री अनिवार्य होगी।

शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम् 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। परन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी।

- इस नियमावली के अध्याय-2 के नियम 2(xix) एवं 2(xx) के अनुरूप (ii) शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों। परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सिम्मिलित होने वाले हैं, को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिये आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग/प्राधिकार द्वारा जिलावार मेधा सूची के रूप में अनुशंसा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेधा सूची को उपायुक्त को उपलब्ध करार्येगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित
- (iii) झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा जिलावार रिक्त पर्दो की विज्ञप्ति प्रकाशित होने पर एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही जिला से आवेदन देना आवश्यक होगा। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिला से आवेदन देने पर उनका अभ्यर्थीत्व स्वतः समाप्त कर दिया जायेगा, मानो वे किसी भी जिला से आवेदन नहीं दिये हों।
- (iv) संगीत शिक्षक के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातक डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता आवश्यक होगी।

(v) जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम् 21 वर्ष तथा अधिकतम कोटिवार निम्नरूपेण होगी :-

		विव	न्तांग हेतु
1.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
2.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
5.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
	परन्त सरकारी प्रारम्भिक वि	वेद्यालयों के शिक्षकों	को अधिकतम

(vi) जाँच परीक्षा निम्नवत् होगी :-


उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जायेगी।

- (क) प्रश्न पत्र (1)- सामान्य ज्ञान एवं हिन्दी भाषा 200 अंक की परीक्षा
- (ख) प्रश्न पत्र (2)- जिस विषय में नियुक्ति होनी है 300 अंक उस विषय की परीक्षा
- (vii) उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होंगी। प्रश्न पत्र (1) अर्हक (Qualifying) प्रश्न पत्र होंगा, अर्थात् इसमें मात्र न्यूनतम् 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होंगा। परन्तु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके प्रश्न पत्र (2) की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र (1) में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।
- (viii) प्रश्न पत्र (2) के प्रश्न भी स्नातक स्तरीय होंगे तथा प्रश्न पत्र (2) में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु इस प्रश्न पत्र में न्यूनतम अंक 50 प्रतिशत लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 45 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची स्नातक प्रशिक्षित पद पर नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगें।

परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जाएगा।

- (ix) प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयो में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन नियमावली में गठित जिला स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा।
- (x) जिला स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्णत करेंगे।

अध्याय - ७



प्रधानाध्यापक की अर्हत्ताएँ एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :-10.

सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाध्यापक के रिक्त पर्दों के 50 प्रतिशत पद पर सीधी नियुक्ति (1) हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्तियों की सूचना जिलावार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्राप्त करते हुए झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजी जायेगी एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जाँच परीक्षा में सिमलित होने हेतु निम्न अर्हत्ताधारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे

- राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से राज्य अथवा केन्द्र सरकार के माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री अनिवार्य होगी।
- इस नियमवाली के अध्याय-2 के नियम 2(xix) एवं 2(xx) के अनुरूप (ii) बी.एड. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त किये हों।
- केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय या केन्द्र (iii) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संगठन द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत संचालित प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्षों का न्यूनतम शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला के मामले में न्यूनतम ७ वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य माना जायेगा।
- प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम् आयु ३५ वर्ष तथा (iv) अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। परन्तु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्रों के आलोक में आरक्षित वर्ग यथा अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत जाति/अनुसूचित पिछड़ा वर्ग/विकलांग को आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
- Computer Application की जानकारी वांछनीय होगी। (v)

जाँच परीक्षा निम्नवत होगी :-(II)

- (क) प्रश्न पत्र (1) सामान्य ज्ञान की परीक्षा (i) 200 अंक
 - प्रश्न पत्र (२)- जिस विषय में स्नातक - ३०० अंक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई है उस विषय की परीक्षा
- उक्त प्रश्न पत्र (1) एवं प्रश्न पत्र (2) की परीक्षाएँ तीन-तीन घंटे की (ii) होंगी, अर्थात् प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा तीन घंटे की होगी। दोनों प्रश्न पत्रों में स्नातक स्तर के प्रश्न पुछे जारोंगे।
- प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की (iii) जायेगी, परन्तु प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु 45 प्रतिशत अंक लांना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र

(1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगें। परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जायेगा। प्राप्त मेधा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के शैक्षिक/प्रशैक्षणिक/जाति (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच करते हुए सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की अनुशंसा पर किया जायेगा। राज्य स्तरीय स्थापना समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, (v) माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। (III) सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में इस नियमावाली के नियम 3(क)(i) में उल्लेखित प्रधानाध्यापक के रिक्त पर्दो का 50 प्रतिशत पद निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता वाले सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से वरीयता सह मेधा क्रम में प्रोन्नति द्वारा इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति के प्रस्ताव एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर भरे जायेंगे। वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी सुसंगत परिपत्रों में निहित प्रावधानों के तहत् किया जायेगा। प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पर्दो की शैक्षणिक (i) एवं प्रशैक्षणिक अर्हता वही होगी, जो प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी

- नियुक्ति हेतु इस नियमावली के नियम 10(I)(i) एवं 10(I)(ii) में निर्धारित है।
- इस नियमावली में गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति द्वारा वरीयता (ii) सूची तैयार की जायेगी तथा यह वरीयता सूची सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति का आधार होगी।
- वरीयता सूची तैयार करने में सर्वप्रथम प्रवरण वेतनमान् प्राप्त शिक्षकों (iii) को रखा जायेगा तथा इसके पश्चात् वरीय वेतनमान् के शिक्षक, जिनकी कुल सेवा अवधि (मूल वेतनमान् तथा वरीय वेतनमान् मिलांकर) 24 वर्षों की हो गयी हो, को रखा जाएगा तथा वरीयता क्रम में प्रोन्नित पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 18 वर्ष ही मान्य होगी।
- प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं (iv) राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी परिपत्र लागू होंगे।
- प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु योग्य शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की (v) तिथि तक प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

अध्याय - ८

- स्थापना समिति :- नियमावली के नियम 3 एवं 4 के अधीन शिक्षकों एवं 11. शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, पदस्थापन, प्रोन्नित एवं अन्य कार्रवाईयों हेतु निम्नवत् राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय स्थापना समिति गठित की जाती हैं :-
- राज्य स्तरीय स्थापना समिति (प्रधानाध्यापक हेतु) :-(I)



	(i)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	-	पदेन अध्यक्ष
	(1)	उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी)	-	पदेन सदस्य
	(ii) (iii)	वरीयतम क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक	=	पदेन सदस्य
	(iv)	विभागीय सचिव द्वारा मनोनीत अनुसूचिज जाति/जनजाति का एक राजपत्रित पदाधिकारी	-	सदस्य
(II)	जिला	स्तरीय स्थापना समिति (स्नातक प्रशिक्षत शिक्ष	कों हेतु,) <i>:</i> -
	(î)	उपायुक्त		अध्यक्ष
	(4)	या विकास थायन	-	सदस्य

(i) उपायुक्त	_	3100141
(ii) उप विकास आयुक्त	=	सदस्य
(iii) जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
(iv) जिला कल्याण पदाधिक	ारी -	सदस्य
(iv) जिला शिक्षा अधीक्षक	-	सदस्य

उपायुक्त द्वारा मनोनीत सदस्य जिला के अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी

(III) जिला स्तरीय स्थापना समिति (शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु) :-


(i)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
(ii)	जिला के वरीयतम जिला शिक्षा अधीक्षक	-	सदस्य
(iii)	उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/अनुसूचित	-	सदस्य

अध्याय - 9

अन्यान्य

- इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति (सभी श्रेणियों के वरीय वेतनमान् में प्रोन्नित को छोड़कर) में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य स्तरीय संवर्ग में राज्य स्तर आरक्षण एवं जिला स्तरीय सम्वर्ग में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। झारखण्ड सरकार द्वारा लागू क्षैतिज आरक्षण प्रावधान भी नियमानुसार लागू होंगे।
- इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में इस नियमावली के तहत् नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की संकल्प संख्या 518 वि दिनांक 09.12.2004 द्वारा प्रख्यापित झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 2004 के अधीन अंशदायी पेंशन प्रदायी होगी।

- 14. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवायें (अनुशासन एवं अपील नियमावली-1935, झारखण्ड बोर्ड मिसलेनियस रुल्स) एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये सुसंगत प्रावधानों के तहत् की जाएगी।
 - 15. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के तहत देय होगा।
 - 16. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की किटनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस किटनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जार्येगे।
 - 17. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उसमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शिक्त सम्वर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।
 - 18. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 के तहत् उल्लिखित शिक्षक (प्रधानाध्यापक सिहत) एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की श्रेणियों का स्थानान्तरण इस नियमावली के अधीन गठित किये गये राज्य स्तरीय स्थापना सिमिति द्वारा राज्य स्तरीय संवर्ग तथा जिला स्तरीय सम्वर्ग के जिला स्तरीय स्थापना सिमिति द्वारा किया जाएगा। स्थानान्तरण मात्र जून माह में स्थापना सिमिति के माध्यम से ही राज्य सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए ही किया जायेगा।
 - (I) इस नियमावली के अधीन नियुक्त शिक्षक अपने सेवाकाल में न्यूनतम् १०(दस) वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवा देंगे तथा किसी भी परिस्थिति में किसी एक विद्यालय में इनकी सेवा १० (दस) वर्षों से अधिक नहीं रहेगी।
 - 19. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व सहायक शिक्षकों का संवर्ग राज्य स्तरीय था। इस नियमावली के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप अब सहायक शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय हो गया है। ऐसी स्थित में वैसे सहायक शिक्षक, जो एक जिला से किसी अन्य जिला में जाना चाहते हैं, को मात्र निम्न शर्तों के साथ एक अवसर दिया जायेगा :-
 - (i) पुरुष शिक्षक मात्र वैसे जिला में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं, जिस जिला में उनका स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो।
 - (ii) महिला शिक्षक मात्र वैसे जिला में स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकते हैं, जिस जिला में उनके पिता अथवा पित का स्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो।



- (iii) सेवा पुरितका में अंकित स्थायी पता ही मात्र ऐसे मामलों हेतु स्थायी निवास का प्रमाण पत्र माना जायेगा।
- (iv) इस तरह का स्थानान्तरण नियमावली लागू होने के पश्चात् आने वाले अनुवर्त्ती माह जून में मात्र एक अवसरीय होगा।
- (v) जिस जिला से स्थानान्तरण किया जाना है, उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आवेदन दिया जायेगा तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला स्थापना समिति के विचारार्थ रखेंगे तथा उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने वाले सहायक शिक्षक का स्थानान्तरण संबंधी निर्णय उस जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा जायेगा, जहां पर सहायक शिक्षक जाना चाहते हैं तथा उस जिला की स्थापना समिति द्वारा शर्तों के जांचोपरान्त सहायक शिक्षकों को पदस्थापित करने का निर्णय लिया जायेगा।
- 20. इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नित एवं पुनर्रीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी की सहमित से वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संगत संकल्प/आदेश पत्र/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।
- 21. सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का संधारण प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। सभी सेवा पुस्तिकार्ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेंगी तथा संबंधित शिक्षक/कर्मचारी की मांग करने पर सेवा पुस्तिका की छायाप्रति उन्हें उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- 22. निम्नांकित की गोपनीय चरित्र पुस्ति -
 - (i) प्रधानाध्यापक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा लिखी जायेगी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को भेजेंगे तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक इसे समीक्षोपरान्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे।
 - (ii) <u>सहायक शिक्षक</u> संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी। इसके समीक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तथा समीक्षोपरान्त सहायक शिक्षकों की गोपनीय चरित्र पुस्ति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।
 - (iii) लिपिक संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी। इसके समीक्षा पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तथा समीक्षोपरान्त लिपिकों की गोपनीय चरित्र पुस्ति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।
 - (iv) **आदेशपाल** संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा लिखी जायेगी।

ACH EN

इस नियमावली के नियम 3 में उल्लेखित सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का अवकाश निम्नवत् स्वीकृत किया जायेगा :--

क्रम संख्या	अवकाश का स्वरूप	शिक्षक एवं कर्मचारी की श्रेणी	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
1.	प्रधानाध्यापक	आकरिमक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित) 30 दिनों तक उपार्जित/ असाधारण अवैतनिक/रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाथारण अवकाश आदि 30 दिनों से अधिक उपार्जित/	
	असाधारण अवैतनिक/रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	दात्राच ।स्या उप ।जबस्य	
		आकरिमक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित)	
2.	सभी कोटि के शिक्षक	उपार्जित/असाधारण अवैतनिक/ रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	जिला शिक्षा पदाधिकारी
		आकस्मिक अवकाश (कोरेनटाईन एवं मातृत्व अवकाश सहित)	विद्यालय के प्रधानाध्यापक
3.	सभी कोटि के शिक्षकेत्तर कर्मचारी	अवकाश आदि	
	(चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को छोड़कर)	30 दिनों से अधिक उपार्जित/असाधारण अवैतनिक, रूपान्तरित आधे वेतन अदेय असाधारण अवकाश आदि	

नोट :- चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

24. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी नियमावली/संकल्प/आदेश निरिसत माने जायेंगे। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित संकल्प/आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या के गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐस कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(आराधना पटनायक) सरकार के सचिव

SHO CAL



ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक01 मार्च, 2016 प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(आराधना पटनायक) सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक01 मार्च, 2016 प्रतिलिपि : झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आराधना पटनायक)

ज्ञापांक : 12/नि.1-07/2012/ 434 राँची, दिनांक मार्च, 2016 प्रतिलिपिः- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

> (आराधना पटनायक) सरकार के सचिव

झारखण्ड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

355

रांची, दिनांक : फरवरी, 2022

संख्या—12/नि.1—07/2012(खण्ड) भारत के रांविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा सभी कोटि के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु प्रवृत्त "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2015" में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-
 - (i) यह नियमावली "झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" कहलायेगी।
 - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
 - (iii) यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- 2. नियम- 9 (i) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"(i) (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व—प्राथिमक, उच्च प्राथिमक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी :—

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में 'स्नातक (स्नातक के सभी तीन वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित" तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में 'स्नातक (स्नातक के सभी तीन वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित" तथा

91

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में "स्नातक (स्नातक के सभी वर्षों में संबंधित विषय की पढ़ाई की गई हो) अथवा स्नातकोत्तर में कम 50 प्रतिशत अंकों सिहत" तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड. / बी.एससी.एड. ।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक रतर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.—एम.एड.।

परन्तु यह कि प्राच्य भाषा (संस्कृत, अरबी, उर्दू, फारसी) के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक हेतु उपर्युक्त मान्यता प्राप्त प्रशिक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / समकक्ष घोषित संस्थान द्वारा नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ प्रदत्त आचार्य (साहित्य अथवा व्याकरण), फाजिल (अरबी अथवा उर्दू, फारसी) की डिग्री अनिवार्य होगी।

शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान अथवा वाणिज्य में न्यूनतम् 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री एवं शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.पीएड.) अनिवार्य होगी।

- (ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।
- (ग) "उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यत। के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति–रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक / 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट / 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।"

नियम— 9 (I) (ii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"परन्तु वैसे अभ्यर्थी, जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में समित्रित होने ताले हैं को शिक्षक निस्तित होने वाली परीक्षा के

परीक्षाफल झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त समझी जायेगी। तत्पश्चात् आयोग/प्राधिकार द्वारा जिलावार मेधा सूची तैयार की जायेगी।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्नातक योग्यता (स्नातकोत्तर योग्यता, यदि लागू हो) में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातक योग्यता (स्नातकोत्तर योग्यता, यदि लागू हो) परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।"

आयोग / प्राधिकार द्वारा मेधा सूची के रूप में अनुशंसा निदेशक, माध्यिमक शिक्षा को उपलब्ध करायी जा सकेगी तथा निदेशक, माध्यिमक शिक्षा, विभाग का आदेश प्राप्त करते हुए जिलावार प्राप्त मेधा सूची, उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे तथा उपायुक्त मेधा सूची पर जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए मेधा सूची से निर्धारित योग्यता एवं अर्हत्ता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।"

4.(i) नियम— 10 (l) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :--

"(i)(क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम् योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2014 (यथासंशोधित, 2021) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी:—

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सिहत स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुक्त करने के लिए अनुमति) विनियम, 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त रांरधान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)।

22/2/2/20 12/2/2/20

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.ए.एड. / बी.एससी.एड.।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ रनातकोत्तर तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.।"

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकों में अधिकतम् 05 प्रतिशत अंकों की छूट की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) वांछित योग्यता :- कम्प्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी।

नियम 10 (।) (॥) को विलोपित किया जाता है। 4.(ii)

नियम- 10 (II) (iii) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :-5

"प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी, परन्तु प्रश्न पत्र (1) एवं (2) में योग के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हेतु ४५ प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। यह मेधा सूची प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति का आधार होगी। प्रश्न पत्र (1) एवं (2) वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा आयोजित किये जाने वाले प्राधिकार द्वारा उक्त के अनुरूप सिलेबस जारी किया जायेगा।

मेधा सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान (equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा।

यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातकोत्तर योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा, अर्थात् स्नातकोत्तर योग्यता परीक्षा में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।"

नियम— 10 (III) (i) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :--6.

"प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नित द्वारा भरे जाने वाले पदों की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हत्ता वही होगी, जो प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु इस नियमावली के नियम 10(I)(i) एवं नियम— 2(xx) में निर्धारित / परिभाषित है।"

नियम- 10 (111) (111) के स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किया जाता है :--7.

"वरीयता सूची तैयार करने में सर्वप्रथम प्रवरण वेतनमान् प्राप्त शिक्षकों को रखा जायेगा तथा इसके पश्चात् वरीय वेतनमान् के शिक्षक, जिनकी कुल सेवा अवधि (मूल ---- अ तर्भ की हो गयी हो, को रखा जाएगा तथा वरीयता क्रम में प्रोन्नित पर विचार किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कोटि में 24 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 18 वर्ष ही मान्य होगी।

उपर्युक्त के उपरांत भी निर्धारित अर्हता धारण करने वाले स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों के अभाव में वैसे सभी स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों को रखा जाएगा, जिनकी न्यूनतम सेवा उसके पूर्व वर्ष की 31 दिसम्बर तक 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, अनुस्चित जाति/अनुस्चित जनजाति की कोटि में 24/18 वर्षों के अनुभव वाले शिक्षकों के अभाव में न्यूनतम् कुल सेवा 15 वर्ष ही मान्य होगी तथा वरीयता क्रम एवं आरक्षण अनुसार प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा।

- 8. झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022, मूल नियमावली का अभिन्न अंग होगा एवं अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 9. विभागीय संलेख ज्ञापांक— 12/नि.1—07/2012/148 दिनांक 25.01.2022 के द्वारा "ज्ञारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2022" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 10.02.2022 को संपन्न बैठक में मद संख्या 58 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

जापांक : 12 / नि.1—07 / 2012(खण्ड)....../ राँची, दिनांक र्वे के अर्थाक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड मज्जट के आगामी

असाधारण मे प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 12/नि.1—07/2012(खण्ड). उ राँची, दिनांक २९/०२/ 2022 प्रतिलिपि:— झारखण्ड राज्य के महामिहम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

ज्ञापाकः 12/नि.1-07/2012(खण्ड) जिड्डा राँची, दिनांक क्रिक्टी 2022 प्रतिलिपि:- महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय,राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

> (राजेश कुमार शर्मा) सरकार के सचिव

कोडरमा जिला अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालयों (SoE) की सूची परिशिष्ट 'क'

क्र.सं.	प्रखण्ड	विद्यालय का नाम
1	कोडरमा	सी0डी0 बालिका उच्च विद्यालय, झुमरी तिलैया
2	जयनगर	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जयनगर
3	डोमचाँच	सी0एम0 +2 उच्च विद्यालय, डोमचाँच